संख्या-23/2019/सा-648/दस-2019-308/2016

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0शासन।
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2019

विषय : प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दर में पुनरीक्षण के फलस्वरूप चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2578/सेक-2-5-09-7(55)/97 दिनांक 24-08-2009 द्वारा दिनांक 01-01-2006 से लागू वेतन संरचना में मूल वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग के 25 प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता इस शर्त के साथ अनुमन्य किया गया था कि मूल वेतन, ग्रेड वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के योग की अधिकतम सीमा रू0 58,000/- मासिक होगी।

2- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-11447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22-12-2016 द्वारा दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण संबंधी आदेश निर्गत किये गये हैं जिसके प्रस्तर-5(ब) में चिकित्साधिकारियों के मामले में वेतन पुनरीक्षण की व्यवस्था दी गयी है ।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2/2019/वे0आ0-2-08/10-2019-01(एम)/2019 दिनांक 09-03-2019 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दर मूल वेतन के 20 प्रतिशत के बराबर कर दी गयी है।

3- प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दर दिनांक 09-03-2019 से संशोधित कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त तिथि से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनर्निर्धारण हेतु आदेश निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।

4- दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधनः-

वर्ष 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्सकों, जिन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य था/है, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निधारण निम्नानुसार किया जायेगा-

(I) वर्ष 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्सकों के वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 23/2017/सा0-3-329/दस-2017/308/2016 दिनांक 18-07-2017 सपठित शासनादेश संख्या 31/2017/सा-3-524/दस-2017-308(8)/2016 दिनांक 04-09-2017 के अनुसार दिनांक 01-01-2016 को निर्धारित होने वाले प्रकल्पित मूल वेतन में 31-12-2015 को देय प्रैक्टिस बन्दी भत्ता की राशि जोड़ते हुये दिनांक 01-01-2016 से दिनांक 08-03-2019 तक के लिये पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

(II) दिनांक 09-03-2019 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निर्धारण, दिनांक 01-01-2016 को निर्धारित प्रकल्पित मूल वेतन में 20 प्रतिशत के बराबर प्रैक्टिस बन्दी भत्ता जोड़ते हुये किया जायेगा।

(III) पेंशन/पारिवारिक पेंशन का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/पुनर्निर्धारण इस शर्त के अधीन होगा कि दिनांक 01-01-2016 अथवा दिनांक 09-03-2019 को प्रकल्पित मूल वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता का योग रूपये 2,37,500/- से अधिक नहीं होगा।

-3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 08 मार्च, 2019 तक सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधनः

दिनांक 01-01-2016 से 08-03-2019 तक सेवानिवृत्त चिकित्सकों, जिन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य था/है, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा-

(I) दिनांक 01-01-2016 से 08-03-2019 तक सेवानिवृत्त चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की तिथि को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में आहरित अंतिम वेतन में, सेवानिवृत्ति की तिथि को देय प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की राशि को जोड़ते हुये किया जायेगा।

(II) दिनांक 09-03-2019 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निर्धारण सेवानिवृत्ति की तिथि को दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में आहरित अंतिम मूल वेतन में 20 प्रतिशत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता जोड़ते हुये किया जायेगा।

(III) पेंशन/पारिवारिक पेंशन का उपर्युक्तानुसार पुनर्निर्धारण इस शर्त के अधीन होगा कि मूल वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ते का योग रूपये 2,37,500/- से अधिक नहीं होगा ।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

-4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या संख्या-23/2019/सा-648(1)/दस-2019-308/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला), उत्तर प्रदेश।
9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।